"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 633] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2014— अग्रहायण 24, शक 1936

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 (अग्रहायण 24, 1936)

क्रमांक-12136/वि. स./विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 21 सन् 2014) जो सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 21 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2014

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 6 का संशोधन.

2. (1) छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 6 की उप-धारा (2), (3) एवं (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(2) राज्य शासन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा अधिसमय वेतनमान की श्रेणी से अनिम्न के सेवारत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को, भाड़ा नियंत्रण अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करेगा.

(3) अधिकरण में ऐसे सदस्य होंगे जिनकी अर्हता ऐसी होगी जैसा कि राज्य शासन विहित करे.

(4) राज्य शासन, ऐसे अधिकारी को अधिकरण का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगा जो व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-एक के प्रवर्ग अथवा राज्य शासन में उप सचिव की श्रेणी से निम्न का नहीं होगा."

(2) मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़े जायें, अर्थात् :-

"(6) अधिकरण का मुख्यालय रायपुर में होगा तथा राज्य शासन, अधिकरण द्वारा मामलों की सुनवाई के लिए, अधिसूचना द्वारा, ऐसे अन्य स्थान नियत कर सकेगा, जैसा कि उचित समझे.

(7) अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की निबंधन एवं सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य शासन द्वारा विहित किया जाये."

नवीन धारा 13-क का अन्तःस्थापन.

3. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :-

"13-क. **नियम बनाने की शक्ति.**-(1) राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों में से समस्त या किसी प्रयोजन के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगा.

(2) इस अधिनियम के अधीन निर्मित प्रत्येक नियम, इसके निर्मित किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के पटल पर, जब वह सत्र में कुल तीस दिवस की अवधि के लिए हो, जो एक ही सत्र में या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, और यदि उस सत्र जिसमें इसे पटल पर रखा गया है अथवा उसके ठीक उत्तरवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, सदन यदि नियम में किसी प्रकार के उपान्तरण की सहमति देता है अथवा यदि सदन सहमत होता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तथा राजपत्र में ऐसा विनिश्चय अधिसूचित करता है,

तो ऐसा नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं रखेगा, तथापि ऐसा कोई उपान्तरण या विलोपन, उस नियम के अधीन पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता या विलोपन पर, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा."

4. मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के सरल क्रमांक 2 में शब्द "निर्धारित प्रारूप-ग पर जानकारी दर्ज" के स्थान पर, शब्द "ऐसे प्रारूप में जैसा कि विहित किया जाये पर जानकारी प्रस्तुत" प्रतिस्थापित किया जाये. **अनुसूची 3 का संशोधन.**

5. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्र. 3 सन् 2014) को एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है. **निरसन.**

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भाड़ा नियंत्रण अधिकरण स्थापित करने के क्रम में, अध्यक्ष, सदस्य की नियुक्ति के लिए पात्रता के मापदण्ड को परिवर्तित करने, अधिकरण के लिए रजिस्ट्रार, सुनवाई के स्थान, तथा अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की निबंधन एवं सेवा की शर्तों के लिए प्रावधान करने और बेहतर प्रशासन के लिए, राज्य शासन को अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियम बनाने की शक्ति देने का प्रावधान करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है.

अतएव, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) के प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 10 दिसम्बर, 2014

राजेश मूणत
आवास एवं पर्यावरण मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2014 के खण्ड 2, 3 एवं 4 में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन की व्यवस्था है जिसमें अधिकरण के सदस्य की अर्हता विहित करने, अध्यक्ष एवं सदस्यों की निबंधन एवं सेवा की शर्तों के संबंध में का निर्धारण शासन द्वारा किया जाना है, वे सामान्य स्वरूप की होंगी.

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश 2014 के संबंध में विवरण

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्र" अधिनियम 2011 में अध्यक्ष, सदस्य की नियुक्ति की पात्रता के मापदण्ड परिवर्तित करने, अधिकरण के लिए रजिस्ट्रार, सुनवाई के स्थान तथा अधिकरण के ध्यक्ष एवं सदस्यों की निबंधन एवं सेवा की शर्तो के संबंध में प्रावधान नहीं था. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की जा चु ी थी. अत: अधिनियम में संशोधन करने की सामयिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड 01 के अंतर्गत माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2014 दिनांक 31-10-2014 को जारी किया गया.

2. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और विधानसभा सत्र चालू नहीं था, इसलिए इस प्रयोजनार्थ "छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 03 सन् 2014)" प्रख्यापित किया गया.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2012) की धारा 6 की उपधारा (2),(3),(4),(5) एवं धारा 13 का सुसंगत उद्धरण :-

* * * * * * * * * * * * * *

अधिनियम की धारा 6 की उपधारा :-

(2) राज्य शासन ऐसे सेवारत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश को भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा जो अधिसमय वेतनमान की श्रेणी से निम्न का न हो.

(3) अधिकरण में ऐसे अन्य सदस्य होंगे जैसा कि राज्य शासन, समय-समय पर विनिश्चित करे, किन्तु किसी भी समय अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों से कम नहीं होंगे.

(4) ऐसा अधिकारी जो राज्य शासन में उप सचिव की श्रेणी से निम्न का न हो, अधिकरण का सदस्य-सचिव होगा.

(5) अधिकरण के क्रियाशील होने की तिथि से, जो तिथि राज्य के राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी, संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अलावा, समस्त न्यायालयों का कार्यक्षेत्र, प्रत्येक ऐसे विषयों के संबंध में जो अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर आता हो, अपवर्जित माना जायेगा ;

परन्तु, तथापि कि अधिकरण की स्थापना के तत्काल पूर्व, किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित समस्त प्रकरणों में, समय-समय पर यथासंशोधित पुराने अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही जारी रहेगी.

अधिनियम की धारा 13 - अपील

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भवन स्वामी तथा/या किरायेदार जो भाड़ा नियंत्रक के किसी आदेश से व्यथित हो, को विहित रीति में, विहित समयावधि के भीतर, भाड़ा नियंत्रक अधिकरण को अपील करने का अधिकार होगा.

(2) भाड़ा नियंत्रक अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील, उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

अनुसूची 3

[अधिनियम की धारा 12 (3) देखिए] अधिनियम के अंतर्गत भवन स्वामी की बाध्यता -

2. किरायेदार के प्रवेश के 7 दिवस के भीतर स्थानीय पुलिस थाने में निर्धारित प्ररूप-ग पर जानकारी दर्ज करना.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.